

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



RUPEES
Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL

शतपत्र 20
(नियम 4क देखिए)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

42-11-2012 दिनांक 11/11/2012 10AA 658289
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
(राज्य का नाम)

समस्त अथवा/द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सत्य पत्र

वर्ष, जो 25 अथवा/द्वारा को/की गिवासी है और उपरोक्त निर्वाचन से अथवा/द्वारा से प्रतिष्ठा करता/करती है साथ पर निम्नलिखित कथन करता है/करती है-

1. मैं, ऐसे किसी लखित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/ किए गए हैं।
(यदि अधिसूची ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना/करनी)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
- (ii) पुलिस थाना (थाने)
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अथवा/द्वारा/द्वारा आरोपित किया गया है

- (iv) मामला, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (अरोपों) की विवरण की गई
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरहित किये गए थे
- (vi) क्या सभी या कोई कार्रवाई किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/रही

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (सौक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत होने वाले किसी अपराध (अपराधों) से गिरफ्तार किया गया है/वही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डित किया गया है/वही किया गया है।
(यदि अधिसूची उपर्युक्त रूप में सिद्धांत ठहराया गया और दंडित किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
- (ii) न्यायालय, जिसमें दण्डित किया है
- (iii) पुलिस थाना (थाने)
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अथवा/द्वारा/द्वारा आरोपित किया गया है

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक गया है/रोके गए हैं

Tika Singh Gunjhal
Advocate/Notary Public
Dharchula
Dist. Pithoragarh

थाना : 11/11/2012
तारीख : 11/11/2012

अपराधी हैं इत्यादि

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL



TARAKHAND

10AA 658297

सत्यापन

मैं ऊपर नमूद अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसका कोई भी भाग फिंदा नहीं है। और कोई भी कथ्य छिपाया नहीं गया। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि

- (क) ऊपर के मद संख्या 3 और 4 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर मेरे खिलाफ कोई टोक सिद्ध या खतिबत मामला नहीं है।
- (ख) ऊपर के मद संख्या 5 और 6 में उल्लिखित परिसंपत्ति और देनदारी को छोड़कर मेरा मेरे पति/पत्नी या मेरे अधिकारों की अन्य कोई परिसंपत्ति या देनदारी नहीं है।

शुभम स्थान पर आज दिनांक 11/1/2012 को सत्यापित किया।

Solemntly affirmed before me today
at 10:10 am, by *Tika Singh*
Sunder Singh
as affirmed by *Sher Singh*
I have my self by examining
she understands the contents
of the above Document.

Tika Singh
Tika Singh Gunjya
Advocate/Notary Public
Dharchhula
Dist. Pithoragarh

शपथकार

- नोट :-
1. शपथपत्र सम्पन्नकन दर्जित करने की अंतिम तिथि को अधिकतम 300 बजे अथवा तब तक दर्जित कर दिया जाना चाहिए।
 2. शपथपत्र पर शपथ कर्मिन्तर का प्रश्न श्रेणी को स्टिकर/टैप या मोटरी चिह्निक से सज्ज शपथ ली जानी चाहिए।
 3. सही स्थान में जाने चाहिए और कोई भी खाना खाती नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद में सम्पन्न में कोई सुझान नहीं हो तो या स्पष्ट या जगु नहीं। जैसा भी सम्पन्न हो किया जाना चाहिए।
 4. शपथपत्र या तो टिकित होना चाहिए या पत्र-नीच सम्पन्न तरीके से किया होना चाहिए।